जिज्ञासा

मासिक डिजिटल हिंदी बुलेटिन

राजभाषा विभाग, प्रधान कार्यालय,
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर
अंक : 4 , अक्टूबर - 2020

मुख्य संपादक	संपादक	उप संपादक
एस. के. सोलंकी, मुख्य राजभाषा अधिकारी	विक्रम सिंह, वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी	पी.के.गवेल, वरिष्ठ अनुवादक

अलबर्ट आइंस्टीन ने लिखा है "दुनिया से सबसे कठिन कार्य आयकर को समझना है". इसे समझ पाना और भी कठिन हो जाता है यदि हमारे यहां दो कर प्रणालियां हो. वर्ष 2020 के बजट ने पुरानी प्रणाली और नई प्रणाली में एक विकल्प के चयन का अवसर प्रदान कर करदाताओं की जीवन को कठिन बनाने के अतिरिक्त इसे और उलझाया भी है. इसने वास्तव में संपूर्ण प्रक्रिया को सरल बनाने के बजाय इसे और अधिक जटिल बना दिया है.

किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आइये हम दोनों व्यवस्थाओं को समझ लेते हैं. इस लेख का उद्देश्य जटिलताओं को दूर करने हेतु एक सरल उत्तर प्रदान करना तथा यह विनिश्य करना है कि हम पुरानी कर प्रणाली को अपनाएं अथवा नई कर प्रणाली को.

कर पद्धति – नई कर प्रणाली बनाम पुरानी कर प्रणाली

टैक्स स्लैब	नई कर प्रणाली	पुरानी कर प्रणाली
0-2,50,000	0%	0%
2,50,001-5,00,000	5%	5%
5,00,001-7,50,000	10%	20%
7,50,001-10,00,000	15%	20%
10,00,001-12,50,000	20%	30%
12,50,001-15,00,000	25%	30%
15,00,000 से अधिक	30%	30%

नई कर व्यवस्था के लाभ एवं हानि :

ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट होता है कि नई कर व्यवस्था में फायदे ये हैं कि कर स्लैब अधिक हैं व कर की दरें कम हैं. जबकि नुकसान ये हैं कि करदाताओं को दी गई सभी कटौतियों एवं छूटों की सुविधा को समाप्त कर दिया गया है. अत: इस प्रकार नई कर व्यवस्था से करदाता को कुछेक निर्धारित कटौतियों का लाभ नहीं मिलेगा.

नई कर प्रणाली	पुरानी कर प्रणाली
अधिक कर स्लैब, न्यूनतम कर की दरें किन्तु उपलब्ध कटौतियों एवं छूटों को हटाया जाना.	बचत साधनों के माध्यम से कर हेतु छूट के विकल्प के साथ उच्च कर की दरें.
करदाता के पास अधिक तरलता.	बचत की आदत डालती है जो बाद में धन सृजन सुनिश्चित करती है.
करदाताओं के पास व्यय करने योग्य अधिक आय उपलब्ध.	अधिकतम निवेश की एक समय-सीमा(लॉक इन पीरिएड) होती है जिसके पूर्व धन का आहरण नहीं किया जा सकता.

नई कर प्रणाली में रेल कर्मियों को प्रभावित करने वाली सुसंगत धाराएं (अधिकतम सीमा के साथ) निम्नानुसार हैं –

i	मानक कटौती	50,000
ii	पीएफ, ईएलएसएसएस, एलआईसी, पीपीएफ, गृह ऋण का मुख्य हिस्सा जैसे 80 सी के अंतर्गत की कटौतियां.	1,50,000
iii	80 टीटीए खाता के अंतर्गत बचत खाते की डिपॉजिट पर ब्याज.	10,000
iv	धारा 80 सीडीडी(1बी) के अंतर्गत कटौतियां.	50,000
v	गृह निर्माण अग्रिम – उधार ली गई पूंजी पर भुगतान किया गया ब्याज.	2,00,000
vi	मकान किराया भत्ता.	वास्तविक के अनुरूप
vii	कतिपय कोषों/उपलब्ध संस्थानों को दान.	वास्तविक के अनुरूप
viii	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (80 डी) के संबंध में कटौती.	वास्तविक के अनुरूप

(i), (ii), (iii), (iv) तथा (v) को अधिकतम सीमा के साथ दर्शाया गया है. उसी प्रकार (vi), (vii) एवं (viii) प्रति व्यक्ति के हिसाब से भिन्न होंगे. यह देखा जा सकता है कि प्रत्येक रेल कर्मचारी (i) से (v) तक में 2,60,000/- रूपये की कटौती का दावा कर सकता है. इसमें यह मान लिया जाता है कि वह पीपीएफ तथा अन्य ऐसे निवेशों में 1,50,000/- रूपये की बचत कर रहा है. यदि (v) से (viii) पर विचार किया जाए तो अधिकतम राशि/सीमा लगभग 7,00,000/- रूपये भी हो सकती है. आइये हम दोनों प्रणालियों के अनुसार कर की पहलुओं को व्यावहारिक दृष्टिकोण से समझते हैं –

बचत	अनुमानित वार्षिक आय					
	< 500000		6,00,000		7,00,000	
	पुरानी प्रणाली	नई प्रणाली	पुरानी प्रणाली	नई प्रणाली	पुरानी प्रणाली	नई प्रणाली
निरंक	0	0	33800	23400	54600	33800
1,00,000	0	0	0	23400	33800	33800
2,00,000	0	0	0	23400	0	33800
2,50,000	0	0	0	23400	0	33800
3,00,000	0	0	0	23400	0	33800

बचत	अनुमानित वार्षिक आय					
	8,00,000		9,00,000		10,00,000	
	पुरानी प्रणाली	नई प्रणाली	पुरानी प्रणाली	नई प्रणाली	पुरानी प्रणाली	नई प्रणाली
निरंक	75400	46800	96200	62400	117000	78000
1,00,000	54600	46800	75400	62400	96200	78000
2,00,000	33800	46800	54600	62400	75400	78000
2,50,000	23400	46800	44200	62400	65000	78000
3,00,000	0	46800	33800	62400	54600	78000

बचत	अनुमानित वार्षिक आय					
	12,50,000		15,00,000		20,00,000	
	पुरानी प्रणाली	नई प्रणाली	पुरानी प्रणाली	नई प्रणाली	पुरानी प्रणाली	नई प्रणाली
निरंक	195000	130000	273000	195000	429000	351000
1,00,000	163800	130000	241800	195000	397800	351000
2,00,000	132600	130000	210600	195000	366600	351000
2,50,000	117000	130000	195000	195000	351000	351000
3,00,000	106600	130000	179400	195000	335400	351000

इनकम टैक्स की धारा 87A उन कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिनकी आय 5 लाख तक है. बजट में 5 लाख रुपये तक की शुद्ध कर योग्य आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों को पूर्ण रूप से कर में छूट का प्रावधान है.

इसका क्या तात्पर्य है?

इसका तात्पर्य यह है कि यदि आप उचित योजना बनाते हैं, तो 5 लाख तक शुद्ध कर योग्य आय होने पर आयकर की राशि शून्य हो सकती है.

यह किस प्रकार कार्य करता है ?

सकल आय	87 ए के साथ किंतु बिना बचत का आयकर		पुरानी प्रणाली के अनुसार बचत के साथ आयकर				
	पुरानी प्रणाली	नई प्रणाली	बचत	शुद्ध कर योग्य आय	आयकर	87 ए के अधीन छूट	कुल देय आयकर
3 लाख	0	0	कुछ नही	3 लाख	2500	2500	0
4 लाख	0	0	कुछ नही	4 लाख	7500	7500	0
5 लाख	0	0	कुछ नही	5 लाख	12500	12500	0
6 लाख	33800	23400	1 लाख	5 लाख	12500	12500	0
7 लाख	54600	33800	2 लाख	5 लाख	12500	12500	0

इससे स्पष्ट होता है कि पुरानी कर व्यवस्था कर को शून्य करने में मदद कर सकती है, बशर्ते कि आवश्यक बचत विभिन्न साधनों में की जाती है.

निष्कर्ष –

1. यदि आपकी बचत 2.5 लाख रूपये से अधिक है तो सीधे-सीधे पुरानी कर प्रणाली को अपनाएं, इस हेतु भले ही आपका वेतन कितना भी क्यों न हो. इसमें कोई किन्तु-परन्तु की आवश्यकता नहीं है.
2. बचत की आदत डालें. अन्य शब्दों में कहें तो 2,50,000/- रूपये तक पहुंचना या बचत करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है. मानक कटौती, 80 सी के अंतर्गत कटौती, एनपीएस में अंशदान, 80 टीटीए ब्याज आय के विरूद्ध कटौती, निवारक स्वास्थ्य जांच (5000), स्वास्थ्य बीमा (15000), वरिष्ठ नागरिक माता-पिता पर चिकित्सकीय व्यय (50,000), प्रधानमंत्री राहत कोष/अन्य संस्थाओं को दान, एचबीए (गृह निर्माण अग्रिम) पर ब्याज (2,00,000) तथा मकान किराया भत्ता को मिलाकर आसानी से 2.5 लाख तक पहुंचाया जा सकता है. यह एक तीर से दो शिकार करने जैसा है. बचत किसी आकस्मिकता हेतु कोष निर्मित करेगा तथा पुरानी कर प्रणाली करों की बचत करेगी .
3. यदि आपका वेतन औसतन 10 लाख रूपये तक है तो 20 प्रतिशत की बचत करें और उस हिसाब से आपके लिए पुरानी कर व्यवस्था बेहतर साबित होगी.
4. अधिकतम प्रभाव 7.5 लाख तक सकल वेतन पर है. यदि आपका वेतन 5 से 7.5 लाख रूपये के मध्य है तो 5 लाख रूपये से जितना भी अधिक है उसे बचाएं तथा शून्य कर दायित्व के साथ सर्वाधिक लाभ प्राप्त करें. 87 ए की राहत (अधिकतम 12500) 5,00,000/- शुद्ध कर योग्य आय तक कमाने वाले व्यक्ति पर लागू होता है. अत: पुराने कर प्रणाली में कोई भी कर योग्य नहीं होता है यदि आपकी आय बचत के कारण हुई कटौतियों के बाद 5,00,000/- रूपये या इससे कम है.

राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है।
- महात्मा गांधी